16.11.15 → पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। वास्ते जवाब समन मिसल दिनांक 10.12.15 को पेश हो।

10.12.15 → पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। वास्ते जवाब समन मिसल दिनांक 11.1.16 को पेश हो।

11.1.16 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी हाजिर। वास्ते जवाब न्याय हित में अंतिम मौका दिया जाता है मिसल दिनांक 8.2.16 को पेश हो।

8.2.16 → पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी हाजिर। वास्ते जवाब न्याय हित में अंतिम मौका दिया जाता है मिसल दिनांक 29.2.16 को पेश हो।

29.2.16 → पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी हाजिर। वास्ते जवाब न्याय हित में अंतिम अवसर दिया जाता है। जवाब तस्दीक नहीं हुआ है दूसरे पर कॉल किया जायेगा। मिसल दिनांक 21.3.16 को पेश हो।

21.3.16 → पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी हाजिर। वास्ते जवाब अंतिम अवसर दिया जाता है मिसल दिनांक 21.4.16 को पेश हो।

21.4.16 → पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी हाजिर। ए.डी.साहब नागर प्रधारे हैं मिसल दिनांक 11.5.16 को पेश हो।

11.5.16 पत्रावली पेश हुई। [illegible]

[illegible] अभियान 2016 के तहत राजस्व कोष में [illegible]

1.6.16 ग्राम पंचायत [illegible] रेवाड़

1.6.16 → पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। प्रतिवादीगण/वकील श्री विष्णु कुमार व्यास हाजिर। सुना गया। व्यास रेवाड़ श्री जमाबंदी वर्ष 2007-08 रकबा ई. नया-पुराना 283-220 किल्ला 4 मरबा 23-18-00 बीघा धापूकलां बेटा उमरावसिंह, रघुवीर सिंह, महावीर सिंह व मेहलाद सिंह व रहलाद सिंह बिला उमराव सिंह वरासत के नाम दर्ज है।

प्रतिवादीगण ने वादी के प्रतिवादीगण व उनके पिता को पैसा देकर कोर्ट से बाहर समझौता कर लिया है।

FORM NO.3

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....मुकाम.....

.....बनाम.....

किस्म मुकदमा.....न. .....सन्.....

पावंड करने की प्रार्थना की है।

हमने पंचायती का अवलोकन किया। वकील पक्षकरान की बहस पर मनन किया। ग्राम स्यार की जमाबंदी सैकर-2017-20 खाता सं. नया - पुराना 283-220 किता 4 रकबा 23-18-00 बीघा 4 खाता सं. 284-220 खसरा नम्बर 1385 रकबा 49-17-00 मे नायी-अनायीगण की जरिये अस्थाई लिपेधाज्ञा पावंड किया जाता है कि चौड़े एवं सिंगाई की यथास्थिति बनायी रखी जावे। इस अधिकार का उपयोग खुल वाड़े के तय होगा।

आदेश मजमे आम स्यार के सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ जिला-अजमेर

सदस्य
ग्राम अदालत
सरवाड़

सदस्य
ग्राम अदालत
सरवाड़

Scanned by CamScanner